संख्या-यू0ओ0-32/44-1/90-भण्डा-2/90

प्रेषक,

श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/नोयडा/बीडा
के मुख्य कार्यकारी।

लखनऊ : दिनांक 26 दिसम्बर, 1991

विषय :- सार्वजनिक उद्यमों के सेवकों को सेवानिवृत्ति के समय उनके अवकाश लेखों में जमा अर्जित अवकाश के बदले में अवकाश के नकदीकरण की सुविधा प्रदान किया जाना।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-556/चौवालिस-1/1989-20/उ0वे0रि0/88, दिनांक 16 सितम्बर, 1989 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा सार्वजनिक उद्यमों के सेवकों को सेवा निवृत्ति के समय उनके खाते में जमा अवशेष अवकाश के नकदीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सम्बन्ध में शासन के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया है कि स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को उनकी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के समय उनके खाते में जमा अवशेष अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य है अथवा नहीं।

2-इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के प्रकरणों में भी उक्त सुविधा अनुमन्य होगी परन्तु यह देखा गया है कि सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों के लिए बनाई गई सेवा नियमावलियों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का प्राविधान नहीं है। अतः राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि सार्वजनिक उद्यमों द्वारा सेवा नियमावलियों में भी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का स्पष्ट प्राविधान करने की कार्यवाही की जाय।

भवदीय,
रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

संख्या-यू0ओ0-32 (।)/चौवालिस-।/90-भण्डा-2/90, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(।) शासन के सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव ।
(2) सचिवालय के सम्बन्धित अनुभाग ।
(3) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (6 प्रतियों में)
(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से,
मन्द्रालय जोशी,
अनुसचिव।